राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या —35/2024 प्रा0पत्र

अनवान

कालूसिंह पिता चिमनसिंह जाति रावत, निवासी बावडी की गुवार, कुशलपुरा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द, राजस्थान।

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 12/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की मौजा बिच्छुदडा, पटवार हल्का बरार, भू अभिलेख क्षेत्र बरार, तहसील भीम मे कृषि भूमि खाता संख्या 217, खसरा संख्या 1456, रकबा 0.1376 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से चैनसिंह पुत्र भुरा के स्थान पर चिमनसिंह पुत्र भुरा दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता का नाम चिमनसिंह पुत्र भुरा के स्थान पर चैनसिंह पुत्र भुरा करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में अपनी खातेदारी में अतिरिक्त खसरे 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1463, 1464, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1488, 1479, 1480, 1481, 1482, 1487 मौजा बिच्छुदडा, पटवार हल्का बरार, भू अभिलेख क्षेत्र बरार की जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने पिता के वास्तविक नाम से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। इस स्थिति में प्रार्थी के पिता का नाम संशोधित किया जाना उचित नहीं है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 217, खसरा संख्या 1456 में प्रार्थी के पिता का नाम संशोधित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/11/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द